

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर
क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2025/56

दिनांक : 12/02/2025

आदेश

श्री छगन लाल मेलका, वरिष्ठ तकनीकी सहायक खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बडगांव, उदयपुर जिनकी जन्म तिथि 02.04.1971 है एवं प्रथम नियुक्ति तिथि 13.12.1993 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अनुसरण में दिनांक 01.05.2025 से राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। श्री मेलका का दिनांक 01.05.2025 अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./एफ-1678/2025/56

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (द्वितीय) उदयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. श्री छगन लाल मेलका, वरिष्ठ तकनीकी सहायक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-02-2025 05:50:53